PMAY-G
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(36) ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी./District. Information/ 2018–19 जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्यवयन के संबंध में।
प्रंसगः– विभागीय समसख्यक पत्र दिनांक 13.02.2019

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अन्तर्गत पात्रता के निर्धारित मापदण्डो को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोडे जाने के कम में गतिविधिवार समयावधि निर्धारित कर वचितं पात्र परिवारों का चिन्हीकरण कर वरियता सूची में शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया है, इस कम में दिनांक 23 व 24 फरवरी 2019 को विशेष ग्रामसभायें आयोजित की जानी है।

योजनान्तर्गत वरीयता सूची के वरीयता कमानुसार आवास स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। वरीयता सूची में शामिल अपात्र लाभार्थियों को हटाये जाने हेतु आवास सांफ्ट पर "रिमांड मॉडयूल" उपलब्ध है, इन अपात्र लाभार्थियों को हटाये जाने के उपरान्त ही वरीयता सूची के निचले कम के लाभार्थी को आवास स्वीकृत किया जा सकता है। अतः उक्त संबंध में वरीयता सूची में शामिल अपात्र लाभार्थिया को सूची से हटाने हेतु आयोजित की जा रही विशेष ग्रामसभाओं में अपात्र लाभार्थियों की सूची संबंधित ग्रामसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावें।

योजनन्तर्गत SECC – 2011 के आधार पर वरीयता सूची तैयार की गई है। उक्त सूची में शामिल लाभार्थियों के ग्राम/ग्राम पंचायत के परिवर्तन होने के कारण स्वीकृति जारी नही हो पा रही है, इस कम में जिस ग्राम/ग्राम पंचायत में कोई स्वीकृति जारी नही होने पर ही रीमैपिंग जा सकती है इस हेतु संबंधित दोनो ग्राम पंचायतों की नवीन वरीयता सूची एवं ग्रम सभा रिजोल्यूशन की आवश्यकता होगी अतः SECC Remapping के प्रकरण भी उक्त विशेष ग्राम सभाओं में अनुमोदित कराये जावें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत 5 प्रतिशत आवास विशेष योग्यजन को आवटित किये जाने का प्रावधान है, परन्तु योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा में ज्ञात हुआ है कि राज्य में वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक कमशः 442, 404 एवं 242 आवास ही विशेष योग्यजन को स्वीकृति किये गये है अतः इन ग्रामसभाओं में पात्रता सूची में शामिल सभी विशेष योग्यजन को चिन्हित कर प्राथमिकता से आवास स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

15/2/19
स्टेट नोडल अधिकारी PMAY-G